राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 12/12/2019 को संपन्न 304वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 304वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 12/12/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: दिनांक 11/12/2019 को संपन्न 303वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 303वीं बैठक दिनांक 11/12/2019 को संपन्न हुई। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: 301वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक–2 के अनुसार प्रस्तुतीकरण हेतु उपयुक्त पाए गये शेष प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण एवं तदनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति/टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.–श्री मनीष कुमार साहू), ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 956)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42791/2019 दिनांक 14/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने

हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1312/1 एवं 1314/1, कुल क्षेत्रफल – 0.47 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,360.8 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बासीन दिनांक 25/07/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1106–3/ख.लि./तीन–6/2019 रायपुर, दिनांक 08/08/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 709/खनि2/न.क्र./2019 गरियाबंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र में तिथि का उल्लेख नहीं है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./अनापत्ति/6206 गरियाबंद, दिनांक 11/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1.8 कि.मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 80 कि.मी. की दूरी पर है।
6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम–बासीन 0.9 कि.मी., स्कूल ग्राम–बासीन 0.95 कि.मी., अस्पताल फिंगेश्वर 5.8 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन 13.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.6 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 3.5 कि.मी. एवं तालाब 0.125 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,12,800 टन एवं माईनेबल रिजर्व 12,261 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.021 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 6,771 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,274
द्वितीय	1,071
तृतीय	1,360
चतुर्थ	1,231
पंचम	1,296
छटवे	1,146
सातवे	1,263
आठवे	1,088
नौवे	712
दसवे	589

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.54 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 713 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
2. भूमि श्री मनहरण ध्रुव के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जारी एल.ओ.आई. अनुसार निकटतम सार्वजनिक कच्चा मार्ग 10 मीटर की दूरी पर था। माईनिंग प्लान के अनुमोदन के समय यह सार्वजनिक कच्चा मार्ग पक्का बन जाने के कारण नियमानुसार सड़क से 50 मीटर की दूरी के क्षेत्रफल को गैर माईनिंग जोन चिन्हित किया गया है। उक्त क्षेत्र में टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 6,771 घनमीटर जनित होगा। सेफ्टी जोन में 630 घनमीटर एवं गैर माईनिंग जोन में 3,725 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शेष टॉप सॉईल 2,416 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति उपरांत संरक्षित किया जाएगा। समिति द्वारा टॉप सॉईल 2,416 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh)**
Rs. 12.62	2%	Rs. 0.25	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Tohgipara, Basin	
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.45
			Running water arrangement for toilet	Rs. 0.20
			Total	**Rs. 0.65**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम–बासीन) का रकबा 0.47 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बासीन) को मिलाकर कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
   ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.
   iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.
   v. Project proponent shall submit revised certificate regarding no establishment of public utilities such as temple, cremation ground,

hospital, school, bridge, dam, anicut and water supply source etc. within 200 meter radius from concerned department.

vi. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

vii. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स बरमांठा फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.—श्री तुलसी राम यदु), ग्राम—बरमांठा, तहसील—राजिम, जिला—गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 978)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45205/2019 दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम—बरभांठा, तहसील—राजिम, जिला—गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 15, कुल क्षेत्रफल — 0.43 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता — 704.52 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी — परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरभांठा का दिनांक 14/07/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8507—08/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.03/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 754/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.321 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 702/खनि2/न.क्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला—गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./अनापत्ति/6336 गरियाबंद दिनांक 20/11/2019 को

जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 81 कि.मी. की दूरी पर है।

6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–बरभांठा 0.48 कि.मी., स्कूल ग्राम–बरभांठा 0.76 कि.मी. एवं अस्पताल फिंगेश्वर 5.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.6 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 3.6 कि.मी. एवं तालाब 0.58 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 72,240 टन, माईनेबल रिजर्व 3,477 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,303 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.015 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,312 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	704
द्वितीय	691
तृतीय	663
चतुर्थ	677
पंचम	568

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.78 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 884 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री तुलसीराम यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
2. भूमि आवेदक के नाम पर है।
3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 3,312 घनमीटर जनित होगा। जिसका उपयोग लीज क्षेत्र में पूर्व से उत्खनित क्षेत्र के बैक फिलिंग में किया गया।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 5.19	2%	Rs. 0.10	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Barbhata	
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.45
			Total	**Rs. 0.45**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम–बरभांठा) का रकबा 0.43 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरभांठा) को मिलाकर कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
   ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.
   iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.
   v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स बरभांठा फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री डायमंड यदु), ग्राम–बरभांठा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 980)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45232/2019, दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरभांठा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 4/1, कुल क्षेत्रफल – 1.36 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 15,987.36 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरभांठा का दिनांक 14/07/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8501–02/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.03/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 752/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 37.391 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 708/खनि2/न.क्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./अनापत्ति/6338 गरियाबंद दिनांक 20/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि. मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 81 कि.मी. की दूरी पर है।
6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम–बरभांठा 0.6 कि.मी., स्कूल ग्राम–बरभांठा 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल फिंगेश्वर 5.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.6 कि. मी. एवं राज्यमार्ग 2.7 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 3.7 कि.मी. एवं तालाब 0.76 कि. मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,26,400 टन, माईनेबल रिजर्व 1,59,259 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,51,296 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.05 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 44,111 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	**प्रस्तावित उत्खनन (टन)**
प्रथम	15,130
द्वितीय	15,987
तृतीय	15,280
चतुर्थ	14,672
पंचम	15,260
छटवे	14,603
सातवे	15,287
आठवे	14,692
नौवे	15,356
दसवे	15,027

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 762 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री डायमंड यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
2. भूमि श्री लेखराम यदु के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 44,111 घनमीटर जनित होगा। सेफ्टी जोन एवं 502 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बैक फिलिंग में 2,500 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शेष टॉप सॉईल 41,611 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति उपरांत संरक्षित किया जाएगा। समिति द्वारा टॉप सॉईल 41,611 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 19.41	2%	Rs. 0.38	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Barbhata	
			Rain water harvesting system	Rs. 0.80
			Total	**Rs. 0.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम-बरभांठा) का रकबा 1.36 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम- बरभांठा)) को मिलाकर कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

   i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
   ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.
   iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.

v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स बरभांठा फ्लेग स्टोन माईन, (प्रो.– श्री घनश्याम यदु) ग्राम–बरभांठा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 982)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /45264/2019, दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बरभांठा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 4/3, कुल क्षेत्रफल – 0.49 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,517.12 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरभांठा का दिनांक 07/09/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8498–99/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.03/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 751/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.261 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 704/खनि2/न.क्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./अनापत्ति/6332 गरियाबंद दिनांक 20/11/2019 को

जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 80 कि.मी. की दूरी पर है।

6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–बरभांठा 0.55 कि.मी., स्कूल ग्राम–बरभांठा 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल फिंगेश्वर 5.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.7 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 3.7 कि.मी. एवं तालाब 0.7 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,17,600 टन, माईनेबल रिजर्व 25,142 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 23,885 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.03 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्‌टी की मात्रा 9,144 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,383
द्वितीय	2,467
तृतीय	2,326
चतुर्थ	2,462
पंचम	2,291
छटवे	2,394
सातवे	2,271
आठवे	2,428
नौवे	2,346
दसवे	2,517

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.63 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 450 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री घनश्याम यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
2. भूमि आवेदक के नाम पर है।
3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 9,144 घनमीटर जनित होगा। सेफ्टी जोन एवं 255 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बैक फिलिंग में 1,400 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शेष टॉप सॉईल 7,744 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति उपरांत संरक्षित किया जाएगा। समिति द्वारा टॉप सॉईल 7,744 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 8.84	2%	Rs. 0.17	Following activities at Nearby Government Primary School	

			Village-Barbhata	
			Rain water harvesting system	Rs. 0.80
			Total	**Rs. 0.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम–बरभांठा) का रकबा 0.49 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरभांठा) को मिलाकर कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–
   i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
   ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.

v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स बरभांठा फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.–श्री समीर यदु), ग्राम–बरभांठा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 984)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45260/2019, दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बरभांठा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 80, 81 एवं 82, कुल क्षेत्रफल – 0.86 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 5,916.6 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरभांठा का दिनांक 13/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8510–11/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.03/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 753/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 37.891 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 706/खनि2/न.क्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र

जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./अनापत्ति/6334 गरियाबंद दिनांक 20/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 81 कि.मी. की दूरी पर है।
6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम–बरभांठा 0.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–बरभांठा 0.61 कि.मी. एवं अस्पताल फिंगेश्वर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.4 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 3.5 कि.मी. एवं तालाब 0.3 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,06,400 टन, माईनेबल रिजर्व 58,221 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 55,310 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.045 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 19,367 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 4 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,472
द्वितीय	5,700
तृतीय	5,609
चतुर्थ	5,417
पंचम	5,711
छटवे	5,917
सातवे	5,766
आठवे	5,472
नौवे	5,262
दसवे	4,984

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.63 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 687 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 749/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.281 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
2. भूमि श्री बालमुकुन्द यदु के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 19,337 घनमीटर जनित होगा। सेफ्टी जोन में 1,350 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शेष टॉप सॉईल 18,017 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति उपरांत संरक्षित किया जाएगा। समिति द्वारा टॉप सॉईल 18,017 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 14.26	2%	Rs. 0.28	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Barbhata	
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.45
			Running water arrangement for toilet	Rs. 0.20
			Total	**Rs. 0.65**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 753/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 37.891 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम—बरभांठा) का रकबा 0.86 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—बरभांठा) को मिलाकर कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.

ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.

v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.–श्री नीलम कुमार साहू), ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 979)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45225/2019, दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1459/1, कुल क्षेत्रफल – 0.52 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,435.04 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बासीन का दिनांक 17/02/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक

8516–17 / खनि02 / मा.प्ल.अनुमोदन / न.क.03 / 2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 / 10 / 2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 755 / खनि. / स्था. / 2019 गरियाबंद, दिनांक 26 / 11 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.231 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 705 / खनि2 / न.क्र. / 2019 गरियाबंद, दिनांक 18 / 11 / 2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक / मा.चि. / अनापत्ति / 6342 गरियाबंद दिनांक 20 / 11 / 2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि. मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 80 कि.मी. की दूरी पर है।

6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44 / खनि02 / उ.प.–अनु.निष्पा. / न.क्र. 50 / 2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 / 11 / 2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25 / 04 / 2020 तक) हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–बासीन 0.3 कि.मी., स्कूल ग्राम–बरभांठा 1 कि.मी. एवं अस्पताल फिंगेश्वर 5.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.75 कि.मी. दूर है। महानदी 5.5 कि.मी. एवं तालाब 0.5 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,12,320 टन, माईनेबल रिजर्व 22,960 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 21,812 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.028 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 16,032 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 6 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,189
द्वितीय	2,052
तृतीय	2,223
चतुर्थ	2,086
पंचम	2,216

छटवे	2,059
सातवे	2,230
आठवे	2,093
नौवे	2,230
दसवे	2,435

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.71 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 429 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः**—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई—मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई—मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नीलम कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 755/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.231 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
2. भूमि आवेदक के नाम पर है।
3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 16,032 घनमीटर जनित होगा। सेफ्टी जोन में 840 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शेष टॉप सॉईल 15,192 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति

उपरांत संरक्षित किया जाएगा। समिति द्वारा टॉप सॉईल 15,192 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 10.38	2%	Rs. 0.20	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village-Basin	
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.45
			Running water arrangement for toilet	Rs. 0.20
			Total	**Rs. 0.65**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 755/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.231 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति

द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम–बासीन) का रकबा 0.52 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बासीन) को मिलाकर कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

   i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
   ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.
   iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.
   v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
   vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.–श्री फगेन्द्र यदु), ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 981)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45235/2019, दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1462/1 एवं 1465, कुल क्षेत्रफल – 0.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3474.72 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बासीन का दिनांक 26/09/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8504–05/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.03/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 748/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 37.871 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 703/खनि2/न.क्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./अनापत्ति/6344 गरियाबंद दिनांक 20/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 80 कि.मी. की दूरी पर है।

6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–बासीन 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–बरभांठा 0.85 कि.मी. एवं अस्पताल बासीन 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.55 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 4.1 कि.मी. एवं तालाब 0.48 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,11,200 टन, माईनेबल रिजर्व 34,740 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 33,003 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.051 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 21,792 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,420
द्वितीय	3,192
तृतीय	3,443
चतुर्थ	3,167
पंचम	3,386
छटवे	3,283
सातवे	3,440
आठवे	3,283
नौवे	3,475
दसवे	2,914

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.64 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 774 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई—मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई—मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री फगेन्द्र यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 748/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 37.871 हेक्टेयर हो रहा है, जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो

गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

2. भूमि आवेदक के नाम पर है।

3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 21,792 घनमीटर जनित होगा। सेफ्टी जोन में 1,500 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शेष टॉप सॉईल 20,292 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति उपरांत संरक्षित किया जाएगा। समिति द्वारा टॉप सॉईल 20,292 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 17.19	2%	Rs. 0.34	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Basin	
			Rain water harvesting system	Rs. 0.80
			Total	**Rs. 0.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 748/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार

आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 37.871 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में श्री प्रमोद सिंह चंदेल का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम–बासीन) का रकबा 0.88 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बासीन) को मिलाकर कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
   ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.
   iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.
   v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
   vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन, (प्रो. श्री प्रमोद सिंग चंदेल) ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 983)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45272/2019 दिनांक 24/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1326/2, कुल क्षेत्रफल – 0.40 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3032.4 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लेग स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बासीन का दिनांक 26/09/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8513–14/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.03/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 750/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.351 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 707/खनि2/न.क्र./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./अनापत्ति/6346 गरियाबंद दिनांक 20/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि. मी. तथा बारनवापारा अभयारण्य 80 कि.मी. की दूरी पर है।
6. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9337–44/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 25/04/2020 तक) हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम–बासीन 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–बासीन 0.85 कि.मी. एवं अस्पताल फिंगेश्वर 5.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12.05 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.4 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 3.5 कि.मी. एवं तालाब 0. 21 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 96,000 टन, माईनेबल रिजर्व 21,751 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 20,663 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.023 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी

की मात्रा 10,230 घनमीटर एवं मोटाई लगभग 5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3032
द्वितीय	2911
तृतीय	2784
चतुर्थ	2934
पंचम	2832
छटवे	2955
सातवे	2832
आठवे	130
नौवे	123
दसवे	130

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.1 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 345 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 12/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रमोद तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 750/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.351 हेक्टेयर हो रहा है जबकि उक्त प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 40 में प्रस्तावित खदान का रकबा 4.00 हेक्टेयर का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है, जो कि 0.4 हेक्टेयर का खदान है। अतः इस बाबत् संशोधित प्रमाण पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
2. भूमि आवेदक के नाम पर है।
3. परियोजना से कुल टॉप सॉईल 10,230 घनमीटर जनित होगा। सेफ्टी जोन में 670 घनमीटर टॉप सॉईल को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। शेष टॉप सॉईल 9,560 घनमीटर निकटतम क्षेत्र में माईनिंग विभाग से अनुमति उपरांत संरक्षित किया जाएगा। समिति द्वारा टॉप सॉईल 9,560 घनमीटर को निकटतम क्षेत्र में संरक्षित किए जाने का उल्लेख माईनिंग प्लान में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh)**
Rs. 10.45	2%	Rs. 0.209	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village-Basin	
			Rain water harvesting system	Rs. 1.00
			Total	**Rs. 1.00**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 750/खनि./स्था./2019 गरियाबंद, दिनांक 26/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 38.351 हेक्टेयर है। उक्त प्रमाण पत्र में प्रस्तावित खदान का रकबा 0.4 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर अंकित किया गया है। समिति द्वारा इसे 0.4 हेक्टेयर रकबा मान्य किया गया। आवेदित खदान (ग्राम–बासीन) को मिलाकर कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
   ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   iii. Project proponent has submitted that the water shall be supplied through Gram Panchayat. In this regard, project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.
   iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.
   v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
   vi. Project proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the minig plan accordingly.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: दिनांक 08/12/2019 तक प्राप्त नवीन आवेदनों का परीक्षण कर प्रस्तुतीकरण हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री मनीष सिंह (रेगुड़ा सेण्ड माईन, ग्राम–रेगुड़ा, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर), रेस्ट हाउस, पुराना बस स्टैण्ड पारा, तहसील व जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1024)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46292/ 2019 दिनांक 16/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन

आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 25/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–रेगुड़ा, तहसील–भोपालपट्नम, जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 1/1, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्द्रावती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,01,175 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भद्राकाली दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, खनि अधिकारी, जिला–द.ब. दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1432/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2019 दन्तेवाड़ा, दिनांक 06/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 772/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 21/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 714/कले./खनिज/रे.ख./रि.ऑ./2019 बीजापुर, दिनांक 09/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./1528 बीजापुर, दिनांक 06/04/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर अभयारण्य/टाईगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. निकटतम आबादी ग्राम–रेगुड़ा 0.45 कि.मी. एवं प्राथमिक स्कूल ग्राम–रेगुड़ा 0.6 कि.मी. है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 180 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 200 मीटर दर्शाई गई है।
12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,01,175 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 50 मीटर छोड़ा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स कन्हनपुरी ब्लैक ग्रेनाईट माईन (श्री विमल लुनिया), ग्राम–कन्हनपुरी, तहसील– नरहरपुर, जिला–उ.ब. कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 977)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ को 42074/2019 दिनांक 16/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित ब्लैक ग्रेनाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कन्हनपुरी, तहसील–नरहरपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 308, कुल क्षेत्रफल – 1.87 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3766.5 टन प्रतिवर्ष (1395 घनमीटर प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ब्लैक ग्रेनाईट खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कन्हनपुरी दिनांक 02/01/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – सेकेण्ड स्कीम ऑफ माईनिंग एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1595/एमसीसी/एमपी/एफ नंबर – 05/2015 अटल नगर, दिनांक 30/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 398/खनिज/ग्रेनाइट/2012 कांकेर, दिनांक 13/08/2014 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की दूरी पर अन्य कोई खदान संचालित एवं रिक्त आवेदित खदान नहीं है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
5. कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी नरहरपुर, परिक्षेत्र नरहरपुर के ज्ञापन क्रमांक लेखा/2019/1376, नरहरपुर, दिनांक 08/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के वन क्षेत्र से दूरी संरक्षित वन क्षेत्र 1 कि.मी. में कक्ष क्रमांक 22 स्थित है।
6. लीज डीड श्री विमल लुनिया के नाम पर है, जो कि 30 वर्षों के लिए दिनांक 02/11/1998 से 01/11/2028 तक की अवधि हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम–कन्हनपुरी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है। महानदी नदी 2.5 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,42,700 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 1,49,544 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,15,893 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईस्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई लगभग 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 83 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	**प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)**
2019–2020	943
2020–2021	1,125
2021–2022	1,125
2022–2023	1,143
2023–2024	1,395
कुल	5,731

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 250 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया**:–

1. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 379, दिनांक 18/06/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का होने तथा मार्च–अप्रैल, 2018 में 30 दिवस के निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं किए जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किया गया था। यह स्पष्ट करें कि पूर्व में प्रकरण को निरस्त करने के पूर्व / पश्चात् निर्धारित समयावधि के भीतर तत्समय नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था अथवा नहीं? वर्तमान में पुनः आवेदन किये जाने की स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी अद्यतन जानकारी/प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स आरकॉन्स इंफास्ट्रक्चर एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड एण्ड डी.डी. बिल्डर्स लिमिटेड (अछोली ऑर्डिनरी स्टोन (बोल्डर)), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1008)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46016/2019, दिनांक 07/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित ऑर्डिनरी स्टोन (बोल्डर) (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 780/2, 791, 792, 794, एवं 795/2353, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 71,875 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आर्डिनरी स्टोन (बोल्डर) खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 20/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8723/खनि02/मा.प्ला.अनुमोदन/न.क्र.02/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1804/क/अस्थाई अनुज्ञा/खलि./न.क्र. /2018 महासमुंद, दिनांक 25/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें क्षेत्रफल 2.15 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1096/क/अस्थाई अनुज्ञा/ख.लि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 21/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1301 महासमुंद, दिनांक 08/06/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के वन क्षेत्र से दूरी संरक्षित वन क्षेत्र 9 कि.मी. में कक्ष क्रमांक 22 स्थित है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1682/क/ख.लि./अस्था.अनु./न.क्र./19 महासमुंद, दिनांक 11/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 06 माह हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–अछोली 2.5 कि.मी., अस्पताल तुमगांव 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.5 किमी दूरी पर है। महानदी 4 कि.मी. एवं नाला 0.1 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,40,625 टन, माईनेबल रिजर्व 1,41,250 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,27,125 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2019	69,375
2020	71,875

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.71 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति वॉटर टैंकर के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स चेवरॉक्स कंस्ट्रक्शन प्राईवट लिमिटेड (राजपुर सेण्ड स्टोन क्वारी(ए), ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी), अहमदाबाद, गुजरात (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1042)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129122/ 2019 दिनांक 03/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1861, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 87,642 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत राजपुर का दिनांक 30/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोगेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्वारी प्लान की जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1150/अस्थायी अनुज्ञा/अनु./2019 धमतरी, दिनांक 04/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1148/अस्थायी अनुज्ञा/अनु./2019 धमतरी, दिनांक 04/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 989/खनि/अस्थायी अनुज्ञा/2019 धमतरी, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 06 माह हेतु वैध है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी./3813 धमतरी दिनांक 06/08/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 500 मीटर से अधिक दूरी पर है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–राजपुर 0.5 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 30 कि.मी. दूर है। महानदी 1.5 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,43,694 टन, माईनेबल रिवर्ज 87,659 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 78,893 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.324 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 1 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	3,590	1.5	5,385	14,539
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	6,505	1.5	9,457	26,345
प्रथम वर्ष तृतीय बेंच	6,010	1.5	9,015	24,340
प्रथम वर्ष चतुर्थ बेंच	5,535	1.5	8,302	22,417

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वयं के ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. अनुमोदित माईनिंग प्लान को अनुमोदन किये जाने के संबंध में जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स चेवरॉक्स कंस्ट्रक्शन प्राईवट लिमिटेड (राजपुर सेण्ड स्टोन क्वारी(बी), ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी), अहमदाबाद, गुजरात (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1043)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129166/ 2019, दिनांक 03/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1861, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 84,345 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत राजपुर का दिनांक 30/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोगेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्वारी प्लान की जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1149/अस्थायी अनुज्ञा/अनु./2019 धमतरी, दिनांक 04/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1147/अस्थायी अनुज्ञा/अनु./2019 धमतरी, दिनांक 04/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 989/खनि/अस्थायी अनुज्ञा/2019 धमतरी, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 06 माह हेतु वैध है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी./3813 धमतरी, दिनांक 06/08/2019 को जारी अनापत्ति

प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 500 मीटर से अधिक दूरी पर है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–राजपुर 0.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–राजपुर 0.5 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 30 कि.मी. दूर है। महानदी 1.5 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,32,103 टन, माईनेबल रिवर्ज 84,374टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 75,937 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.278 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 1 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	1,926	1.5	5,385	14,539
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	6,750	1.5	9,457	26,345
प्रथम वर्ष तृतीय बेंच	6,150	1.5	9,015	24,340
प्रथम वर्ष चतुर्थ बेंच	6,000	1.5	8,302	22,417

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वयं के ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 695 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. अनुमोदित माईनिंग प्लान को अनुमोदन किये जाने के संबंध में जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्री अशोक आलम (चेरपाल सेण्ड क्वारी, ग्राम–चेरपाल, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर), शांति नगर, तहसील व जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1044)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129010/ 2019, दिनांक 03/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–चेरपाल, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 23, कुल लीज क्षेत्र 3.341 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन चेरपाल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,115 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चेरपाल दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1469/खनिज/रेत/2019–20 दंतेवाड़ा, दिनांक 19/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 774/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 21/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 762/कले./खनिज/रे.ख./रि.ऑ./2019 बीजापुर, दिनांक 16/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 02 वर्ष हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम–चेरपाल 0.475 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–चेरपाल 0.5 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 55 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 75 मीटर दर्शाई गई है।
11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 50,115 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 10 मीटर छोड़ा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स श्री राजेश सिंह चौहान (मंगलनार सेण्ड माईन, ग्राम–मंगलनार, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर), बाजार पारा, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1018)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46353/ 2019, दिनांक 13/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मंगलनार, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 183, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्द्रावती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंगलनार दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1435/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2019 दंतेवाड़ा, दिनांक 06/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 776/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 21/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 765/कले./खनिज/रे.ख./रि.ऑ./2019 बीजापुर, दिनांक 16/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 02 वर्ष हेतु वैध है।
7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल, जिला–दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./85 दन्तेवाड़ा, दिनांक 04/01/2016 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर अभयारण्य/टाईगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. निकटतम आबादी ग्राम–मंगलनार 2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मंगलनार 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 1020 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 80 मीटर दर्शाई गई है।
12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 10 मीटर छोड़ा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स श्रीमती रंजय सिंह (सिपकोन्हा सेण्ड क्वारी, ग्राम–सिपकोन्हा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग), कचना रोड, खम्हारीडीह, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1027)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 126041/2019, दिनांक 18/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–सिपकोन्हा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 737, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन खारून नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सिपकोन्हा का अपठनीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रस्तुत की गई है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्वारी प्लान की जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1059/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 24/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1059/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 909/खनिज/रेत(रिवर्स बीडिंग)/2019 दुर्ग, दिनांक 03/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम–सिपकोन्हा 0.85 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–सिपकोन्हा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 160 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 66 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 10 मीटर छोड़ा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. अनुमोदित माईनिंग प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्रीमती पद्मा भदौरिया (चन्दूर सेण्ड माईन, ग्राम–चन्दूर, तहसील–भोपालपट्नम, जिला–बीजापुर), ठाकुर पारा, नकुलनार, तहसील–कुआकोण्डा, जिला–दन्तेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1046)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129632/2019, दिनांक 05/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–चन्दूर, तहसील–भोपालपट्नम, जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 42/1,

कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गोदावरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,21,410 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चन्दूर का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1529/खनिज/उ.यो./2019–20 दंतेवाड़ा, दिनांक 02/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 912/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 914/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 898/कले./खनिज/रे.ख./रि.ऑ./2019 बीजापुर, दिनांक 25/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम–चन्दूर 2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–चन्दूर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 624 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 160 मीटर दर्शाई गई है।
11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार

खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,21,410 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 75 मीटर छोड़ा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स राजुर लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री मगराज खत्री), ग्राम–राजुर, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 678)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 22571/2018, दिनांक 22/03/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129699/ 2019, दिनांक 05/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। यह खदान ग्राम–राजुर, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 161 (नया खसरा क्रमांक 55), कुल लीज क्षेत्र 0.971 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 5145 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने

के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 270वीं बैठक दिनांक 02/02/2019 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गईः–

1. ग्राम पंचायत राजुर द्वारा दिनांक 24/04/1998 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक बस्तर/ चूप/ खयो/1082/ 2017–रायपुर दिनांक 13/04/2017 जो वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि हेतु है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2338 दिनांक 04/10/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 01 खदान रकबा 1.53 हेक्टेयर स्वीकृत/विद्यमान हैं।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम–राजुर 01 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रायमरी स्कूल एवं शासकीय अस्पताल ग्राम–राजुर 01 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 03 कि.मी. में है। कांगेर नदी 04 कि.मी. की दूरी पर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. लीज डीड श्री मगराज खत्री के नाम पर है। लीज डीड 50 वर्षों के लिए 30/10/1996 से 29/10/2040 तक की अवधि हेतु है।
7. जियोलॉजिकल रिजर्व 2,73,885 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,35,477 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.037 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट फुल्ली मैनुवल विधि से उत्खनन किया जाता है। भू–भाग के 0.267 क्षेत्र पर उत्खनन होना बताया गया है। वर्तमान में 04 मीटर गहराई तक खदान क्षेत्र के एक भाग में उत्खनन हुआ है। खदान में उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 45 वर्ष है। बेंच की ऊंचाई 03 मीटर एवं चौड़ाई 04 मीटर है। ड्रिलिंग किया जाता है। जल उपभोग की मात्रा 2.5 कि.ली. प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
1997	2,922.5
1998	347
1999	–
2000	4,863
2001	6,949
2002	7,018
2003	4,499

2004	2,177
2005	1,238
2006	2,645
2007	3,930
2008	4,000
2009	5,405
2010	1,461
2011	1,260
2012	2,475
2013	2,810
2014	2,030
2015	1,750
2016	2,180
2017	200
जून 2018 तक	–

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन क्षमता ROM (टन)
2016–2017	1,800
2017–2018	1,800
2018–2019	2,100
2019–2020	2,100
2020–2021	2,100
कुल	**9,900**

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति ऊपर स्पष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/05/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी –** मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2019 से मई 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 6

स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 26.28 से 43.58 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.2 से 66.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.11 से 14.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{\text{एक्स}}$ 11.33 से 20.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 58 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.24 डीबीए से 53.3 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स श्री चैतराम नाग (मिनगाचल सेण्ड क्वारी, ग्राम–मिनगाचल, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर), हॉस्पिटल पारा, चीर घर के पास, तहसील व जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1047)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129978/2019 दिनांक 06/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मिनगाचल, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 36, कुल लीज क्षेत्र 3.4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मिनगाचल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–68,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गदामली का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1530/खनिज/उ.यो./2019–20 दंतेवाड़ा, दिनांक 02/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 924/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 923/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 894/कले./खनिज/रे.ख./रि.ऑ./2019 बीजापुर, दिनांक 25/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक/त.अ./3638 बीजापुर, दिनांक 26/09/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर अभयारण्य/टाईगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र भैरमगढ़ अभयारण्य से 8 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. निकटतम आबादी ग्राम–मंगलनार 0.2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मंगलनार 0.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 50 कि.मी. दूर है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 145 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 90 मीटर दर्शाई गई है।

12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 68,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 40 मीटर छोड़ा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स श्री दिलीप दुबे (कलचा सेण्ड माईन, ग्राम–कलचा, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर), संजय गांधी वार्ड, राम मंदिर, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1036)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 128109/2019 दिनांक 28/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कलचा, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 2.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्द्रावती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–95,200 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कलचा का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1481/खनिज/उ.यो. /2019–20 दंतेवाड़ा, दिनांक 20/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1957–डी/खनिज/ख.लि.03/रेत खदान/2019 जगदलपुर, दिनांक 19/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान रकबा 2 हेक्टेयर है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1957–बी/खनिज/ख.लि.03/रेत खदान/2019 जगदलपुर, दिनांक

19/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. निकटतम आबादी ग्राम–कलचा 1.5 कि.मी., प्रायमरी स्कूल ग्राम–कलचा 1.5 कि. मी. एवं अस्पताल जगदलपुर 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. दूर है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
9. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 500 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 60 मीटर दर्शाई गई है।
10. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 95,200 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 60 मीटर छोड़ा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. एल.ओ.आई. संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स श्री वत्सल बाजपेयी (बनियागांव सेण्ड क्वारी, ग्राम–बनियागांव, तहसील–बकावांड, जिला–बस्तर), मेन रोड जगदलपुर, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1038)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 128245/2019 दिनांक 29/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बनियागांव, तहसील–बकावांड, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 728, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन भसकली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बनियागांव का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1480/खनिज/उ.यो. /2019–20 दंतेवाड़ा, दिनांक 20/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1964–डी/खनिज/ख.लि.03/रेत खदान/2019 जगदलपुर, दिनांक 19/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1964–बी/खनिज/ख.लि.03/रेत खदान/2019 जगदलपुर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. निकटतम आबादी ग्राम–बनियागांव 1.6 कि.मी., प्रायमरी स्कूल ग्राम–बनियागांव 1. 6 कि.मी. एवं जगदलपुर अस्पताल 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13.3 कि.मी. दूर है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड

एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 500 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 450 मीटर दर्शाई गई है।
10. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 40,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 20 मीटर छोड़ा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. एल.ओ.आई. संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स श्री सतीश कुमार गुप्ता (तिमेड़ सेण्ड क्वारी, ग्राम–तिमेड़, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर), अस्पताल पारा 2, बस स्टैंड, मां दन्तेश्वरी वार्ड, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1049)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 130017/2019, दिनांक 07/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–तिमेड़, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्द्रावती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तिमेड़ का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1532/खनिज/उ.यो. /2019–20 दंतेवाड़ा, दिनांक 02/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 916/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 918/कले. /खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 896/कले./खनिज/रे.ख./रि.ऑ./2019 बीजापुर, दिनांक 25/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./260 बीजापुर, दिनांक 18/01/2016 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर इन्द्रावती टाईगर रिजर्व, बीजापुर का बफर जोन क्षेत्र स्थित है।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. निकटतम आबादी ग्राम–तिमेड़ 0.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–तिमेड़ 0.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 480 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 100 मीटर दर्शाई गई है।
12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार

खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,25,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 35 मीटर छोड़ा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स श्री योगेश चन्द्रनाहू (मुड़ियाडीह सेण्ड माईन, ग्राम–मुड़ियाडीह, तहसील व जिला–महासमुंद), रेलवे स्टेशन रोड, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1050)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129937/2019, दिनांक 07/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मुड़ियाडीह, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 338, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–81,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पासीद का दिनांक 28/03/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक

9663/खनि02/रेत(खदान)/न.क्र.325/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1870/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 18/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1870/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1679/ख.लि./रेत नीलामी/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 09/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./4109 महासमुंद, दिनांक 01/08/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वनक्षेत्र से लगभग 3.5 कि.मी. दूर है।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. निकटतम आबादी ग्राम–मुड़ियाडीह 2.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–पासिद 2.55 कि.मी. एवं अस्पताल सिरपुर 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12.42 कि.मी. दूर है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 1200 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 160 मीटर दर्शाई गई है।

12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 81,600 घनमीटर है। नदीतट के पश्चिमी किनारे में 775 मीटर एवं पूर्वी किनारे में 185 मीटर छोड़ा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स श्री योगेश चन्द्रनाहू (पासीद सेण्ड माईन, ग्राम–पासीद, तहसील व जिला–महासमुंद), रेलवे स्टेशन रोड, महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1051)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 130283/2019 दिनांक 07/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पासीद, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–81,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पासीद का दिनांक 28/03/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 9664/खनि02/रेत (खदान)/न.क्र.324/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1871/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 18/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1871/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1679/ख.लि./रेत नीलामी/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 09/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./4107 महासमुंद, दिनांक 01/08/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वनक्षेत्र से लगभग 3.5 कि.मी. दूर है।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. निकटतम आबादी ग्राम–पासीद 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–पासीद 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल सिरपुर 10.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.15 कि. मी. एवं राज्यमार्ग 12.9 कि.मी. दूर है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 910 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 160 मीटर दर्शाई गई है।
12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 81,600 घनमीटर है। नदीतट के पश्चिमी किनारे में 625 मीटर एवं पूर्वी किनारे में 106 मीटर छोड़ा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़ द्वारा मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स, दुर्ग को ग्राम–तालपुर खसरा क्रमांक 40/1, 40/2 एवं 41/2, रकबा 2.513 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत गौण खनिज चूना पत्थर के संबंध में पर्यावरणीय सम्मति हेतु मार्गदर्शन बाबत्:–

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1568/ख.लि./2019 कबीरधाम, दिनांक 09/10/2019 द्वारा मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड

मिनरल्स दुर्ग, ग्राम–तालपुर खसरा क्रमांक 40/1, 40/2 एवं 41/2, रकबा 2.513 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत गौण खनिज चूना पत्थर खदान के संबंध में प्रस्तुत पर्यावरणीय सम्मति हेतु निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:–

"मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स दुर्ग, ग्राम–तालपुर ख.क्र. 40/1, 40/2 एवं 41/2, रकबा 2.513 हे. क्षेत्र में स्वीकृत गौण खनिज चूना पत्थर उत्खनि पट्टा दिनांक 30/05/2009 से 29/05/2039 (30 वर्ष) तक के लिए स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत खदान के लिये 76,951 मि.टन प्रतिवर्ष उत्पादन हेतु पर्यावरणीय सम्मति दिनांक 12/01/2016 से आगामी 05 वर्ष के लिए जारी किया गया था।

पट्टेदार द्वारा गौण खनिज नियमों एवं उत्खनन पट्टा की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर स्वीकृत पट्टा को कार्यालय के आदेश क्रमांक 347/दिनांक 29/05/2018 को प्रतिभूति निक्षेप राशि को समपहृत करते हुए उत्खननपट्टा को पर्यवसित किया गया था। अनावेदक द्वारा उक्त ओदश के विरुद्ध माननीय न्यायालय संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म छ.ग. रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार अनावेदक/पट्टेदार को संशोधित माईनिंग प्लान एवं नवीन पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना है।

अनावेदक/पट्टेदार द्वारा संशोधित/अनुमोदित माईनिंग प्लान के साथ क्षेत्रीय प्रमुख, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल भिलाई से उक्त खदान के लिए 56,843 मि.टन प्रतिवर्ष उत्पादन हेतु जल एवं वायु सम्मति प्राप्त कर प्रस्तुत किये हैं।"

उक्त के संबंध में नवीन पर्यावरणीय सम्मति के स्थान पर क्षेत्रीय प्रमुख, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति को पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य किए जाने अथवा नहीं? हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है।

साथ ही मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स, दुर्ग के पत्र दिनांक 07/11/2019 में उपरोक्त के संदर्भ में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़ द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति को पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य किए जाने अथवा नहीं किये जाने हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है। चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सम्मति पृथक–पृथक नियमों के तहत् भिन्न–भिन्न प्राधिकरण/संस्था द्वारा जारी किए जाने का प्रावधान है। अतः खदान के लिये ई.आई.ए., 2006 (यथा संशाधित) के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जल एवं वायु सम्मति को पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदक को ई.आई.ए., 2006 (यथा संशाधित) के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना होगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. सरपंच, ग्राम पंचायत कण्डरका (कण्डरका सेण्ड माईन), ग्राम–कण्डरका, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 799)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 33539/ 2019, दिनांक 23/03/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/04/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कण्डरका, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 930, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन खारून नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कण्डरका का दिनांक 03/02/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1692/खनि.लि./उ.यो./2019 बेमेतरा, दिनांक 12/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1154/खनि.लिपि./2019 बेमेतरा, दिनांक 11/02/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज मिट्टी ईट (फिक्स चिमनी द्वारा ईट निर्माण) उत्खननपट्टा की 5 खदाने स्वीकृत है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 832/खनि. लिपि./2019 बेमेतरा, दिनांक 16/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
7. निकटतम आबादी ग्राम–पथरीडीह 0.2 कि.मी., स्कूल 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 115 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 60 मीटर दर्शाई गई है।

10. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 50,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारों में औसत 10 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 11/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 11/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष गढ़पाले, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। खनि निरीक्षक के अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। खनि निरीक्षक द्वारा उपरोक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1127/खनि. लिपि./2019 बेमेतरा, दिनांक 12/12/2019 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर नस्तीबद्ध करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1127/खनि. लिपि./2019 बेमेतरा, दिनांक 12/12/2019 द्वारा प्रेषित पत्र में निम्न तथ्य उल्लेखित है:–

"वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा रेत खदान हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 बनाया गया है, जिसके अनुसार रेत खदान को संबंधित ग्राम पंचायत को न देते हुए रेत खदान का रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से नीलामी किये जाने नियम बनाया गया है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत कण्डरका के द्वारा उक्त रेत खदान का पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर नस्तीबद्ध करने का कष्ट करे।"

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदन को नस्तीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स भालेसर ब्रिक्सअर्थ क्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री ओजस बड़वानी), ग्राम–भालेसर, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 932)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40409/2019, दिनांक 31/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–भालेसर, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 498, 499, 501, 502, 525, 526, 599/2, 601/1, 602, 603, 604, 607/1, 607/2(पार्ट), 610/1 एवं 610/3, कुल क्षेत्रफल – 3.36 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 2,551 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईंट उत्पादन क्षमता – 24,74,470 नग प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **जनपद पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में जनपद पंचायत बेरला का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपठनीय है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 491/खनि.लि/उ.यो./2019, बेमेतरा दिनांक 15/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 377/खनि.लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 30/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 10.15 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 376/खनि. लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 30/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेललाइन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद,

गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल एवं प्राकृतिक संरचनाएं आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1535/खनि.लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 08/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. जनपद पंचायत बेरला का अनापत्ति प्रमाण पत्र (पठनीय प्रति) प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 05/11/2019 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र दिनांक 03/12/2019 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4714/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/09/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 06/02/2020 तक) हेतु वैध है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स कण्डरका ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री आयुष बड़वानी), ग्राम–कण्डरका, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 931)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40404/2019, दिनांक 31/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–कण्डरका, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 846(पार्ट), 831/2 एवं 845, कुल क्षेत्रफल – 3.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 3,400 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईंट उत्पादन क्षमता – 32,98,000 नग प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कण्डरका द्वारा दिनांक 05/07/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 489/खनि.लि/उ.यो./2019, बेमेतरा दिनांक 15/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 375/खनि.लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 30/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 1.12 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 374/खनि. लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 30/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेललाइन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल एवं प्राकृतिक संरचनाएं आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1537/खनि.लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 08/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 05/11/2019 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र दिनांक 03/12/2019 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. एल.ओ.आई. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4716/खनि02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/09/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (दिनांक 06/02/2020 तक) हेतु वैध है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स नांदगांव फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री अश्वनी धीवर), ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 940)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40643/2019, दिनांक 07/08/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 26/08/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत

करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/09/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 3271/2 एवं 3274, कुल क्षेत्रफल – 0.7 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,825 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फर्शी पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नांदगांव का दिनांक 24/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /ख.लि./तीन–6/2019/1047–2 रायपुर, दिनांक 02/08/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1023/क/ई–निविदा/ख.लि./न.क्र. 63/2018 महासमुंद, दिनांक 06/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर दिनांक 09/09/2013 के पश्चात् अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.37 हेक्टेयर है तथा 1 खदान मेसर्स श्रीमति सरोज चन्द्राकर 0.83 हेक्टेयर को दिनांक 08/03/2019 के द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किया गया है।
4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 794/क/ई–निविदा/ख.लि./न.क्रं.59/2018 महासमुंद, दिनांक 30/05/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष की अवधि तक है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./4078 महासमुंद, दिनांक 31/07/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगभग 2.2 कि.मी. दूर है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. निकटतम आबादी ग्राम–नांदगांव 2 कि.मी. एवं महासमुंद 8 कि.मी., प्राइमरी स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–नांदगांव 3 कि.मी., निकटतम रेल्वे स्टेशन बेलसोण्डा लगभग 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.2 कि.मी. दूर है। कुरर नाला 0.05 कि.मी., केनाल 0.06 कि.मी. एवं महानदी 2 कि.मी. दूर है। तुमगांव आरक्षित वन 10 कि.मी. दूर है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,05,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 44,595 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.314 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। मैन्युअल ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,020	1.5	1,530	3,634
द्वितीय	1,070	1.5	1,605	3,812
तृतीय	1,100	1.5	1,650	3,919
चतुर्थ	384 716	1.5	1,650	3,919
पंचम	1,200	1.5	1,800	4,275

आगामी पांच वर्षो की उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छटवे	1,230	1.5	1,845	4,382
सातवे	1,240	1.5	1,860	4,417
आठवे	1,250	1.5	1,875	4,453
नौवे	239 1,041	1.5	1,920	4,560
दशवे	1,290	1.5	1,935	4,596

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

11. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 450 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/11/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(ब) समिति की 300वीं बैठक दिनांक 21/11/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल सराफ, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)
Rs. 30	2%	Rs. 0.6	Following activities at Govt. Primary school Village-Nandgaon	
			Rain water harvesting	Rs. 0.40
			potable drinking water facility,	Rs. 0.18
			Running water facility for toilets	Rs. 0.02
			Total	**Rs. 0.60**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छ.ग. की 300वीं बैठक दिनांक 21/11/2019 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/12/2019 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1957 /क/ई–निविदा/ख.लि./न.क्र.45/2017 महासमुंद, दिनांक 29/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 0.85 हेक्टेयर है तथा 1 खदान मेसर्स श्रीमती सरोज चन्द्राकर 0.83 हेक्टेयर को दिनांक 08/03/2019 के द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1958 /क/ई–निविदा/ख.लि./न.क्र.45/2017 महासमुंद, दिनांक 29/11/2019 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1957 /क/ई–निविदा/ख.लि./न.क्र.45/2017 महासमुंद, दिनांक 29/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 0.85 हेक्टेयर है तथा 1 खदान मेसर्स श्रीमती सरोज चन्द्राकर 0.83 हेक्टेयर को

दिनांक 08/03/2019 के द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किया गया है। आवेदित खदान (ग्राम–नांदगांव) का रकबा 0.7 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नांदगांव) को मिलाकर कुल रकबा 1.55 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 3271/2 एवं 3274, कुल क्षेत्रफल – 0.7 हेक्टेयर फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–3,825 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. सरपंच, ग्राम पंचायत दरगहन, ग्राम–दरगहन, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 897)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37375/2019, दिनांक 06/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–दरगहन, ग्राम पंचायत दरगहन, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 02, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–67,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दरगहन का दिनांक 08/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 354/खनि /न.क्र./2019/धमतरी, दिनांक 03/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 353/खनि /न.क्र./2019 धमतरी, दिनांक 03/05/2019 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 40 मीटर है, तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 02, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी के ज्ञापन कमांक 775 दिनांक 31/08/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 01 वर्ष तक की अवधि हेतु दी गई थी। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 9 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नई रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती सरस्वती बाई, सरपंच एवं श्री चन्द्रहास ध्रुव, सचिव, ग्राम पंचायत दरगहन उपस्थित हुए। सरपंच एवं सचिव द्वारा समिति की आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–**

1. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 को समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष पर सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती सरस्वती बाई, सरपंच एवं श्री चन्द्रहास ध्रुव, सचिव, ग्राम पंचायत दरगहन उपस्थित हुए। सरपंच एवं सचिव द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गयाः–

1. सरपंच एवं सचिव के अनुरोध को स्वीकार करते हुए खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1005 दिनांक 07/11/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया।

वर्तमान में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक1220/खनिज/रेत(रिवर्स ऑक्सन)/2019, धमतरी, दिनांक 06/12/2019 द्वारा विचाराधीन प्रकरण को एल.ओ.आई. धारक श्रीमती शालिनी सिंग (अधिमानी बोलीदार) के नाम पर हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 09/12/2019 को प्रस्तुत किया गया है। अनुरोध पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज निम्नानुसार हैः–

i. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" के प्रावधानों अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1218/खनिज/निविदा/2019 धमतरी, दिनांक 06/12/2019 द्वारा श्रीमती शालिनी सिंग (अधिमानी बोलीदार) के नाम से एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

(इ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. धारक श्रीमती शालिनी सिंग (अधिमानी बोलीदार) द्वारा विचाराधीन प्रकरण को हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुरोध पत्र एल.ओ.आई. धारक श्रीमती शालिनी सिंग (अधिमानी बोलीदार) द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. आवेदक सरपंच द्वारा आवेदन हस्तांतरण हेतु कोई अनुरोध पत्र नहीं दिया गया है।
3. आवेदक द्वारा पूर्व में वांछित जानकारी भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आवेदक द्वारा वांछित जानकारी तथा वर्तमान में लीज आवेदक को आबंटित नहीं है। अतः प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाकर आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. सरपंच, ग्राम पंचायत मंदरौद, ग्राम–मंदरौद, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 916)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 39053/2019, दिनांक 11/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मंदरौद, ग्राम पंचायत मंदरौद, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 1711/1, कुल लीज क्षेत्र 4.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–54,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंदरौद का दिनांक 08/03/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **सीमांकन** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/ सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद (छ.ग.) द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 366/खनि/न.क्र./2019 धमतरी, दिनांक 03/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 30 मीटर है तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. निकटतम आबादी ग्राम–गाड़ाडीह 0.85 कि.मी., स्कूल ग्राम–मंदरौद 1 कि.मी. एवं अस्पताल कुरुद 6.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
8. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 400 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 144 मीटर दर्शाई गई है।
9. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार खदान में उपलब्ध रेत की मात्रा – 60,000 घनमीटर हैं।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया।

वर्तमान में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1235/खनिज/रेत(रिवर्स ऑक्सन)/2019, धमतरी, दिनांक 07/12/2019 द्वारा विचाराधीन प्रकरण को एल.ओ.आई. धारक श्री चंदप्रकाश वर्मा (अधिमानी बोलीदार) के नाम पर हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 09/12/2019 को प्रस्तुत किया गया है। अनुरोध पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज निम्नानुसार है:–

i. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" के प्रावधानों अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1233/खनिज/निविदा/2019 धमतरी, दिनांक 07/12/2019 द्वारा श्री चंदप्रकाश वर्मा (अधिमानी बोलीदार) के नाम से एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

(स) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. धारक श्री चंदप्रकाश वर्मा (अधिमानी बोलीदार) द्वारा विचाराधीन प्रकरण को हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुरोध पत्र एल.ओ.आई. धारक श्री चंदप्रकाश वर्मा (अधिमानी बोलीदार) द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. आवेदक सरपंच द्वारा आवेदन हस्तांतरण हेतु कोई अनुरोध पत्र नहीं दिया गया है।
3. आवेदक द्वारा पूर्व में वांछित जानकारी भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आवेदक द्वारा वांछित जानकारी तथा वर्तमान में लीज आवेदक को आबंटित नहीं है। अतः प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाकर आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री तरूण गांधी आर्डिनरी स्टोन क्वारी, ग्राम–हैदलकोड़ों, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 933)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी/एमआईएन/40438/2019 दिनांक 01/08/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 31/08/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 09/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हैदलकोड़ों, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 532, कुल क्षेत्रफल – 2.024 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष (31,250 घनमीटर प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत हैदलकोड़ों दिनांक 28/01/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वॉरी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1503(3)/ख.लि./तीन–1/ख.यो.अनु./2018 रायपुर, दिनांक 24/01/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2552/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 17/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2552/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 17/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. लीज डीड श्री तरूण गांधी के नाम पर है, जिसकी अवधि दिनांक 02/06/2012 से दिनांक 01/06/2022 तक स्वीकृत है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./10–1/2249 राजनांदगांव, दिनांक 05/03/2012 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1.125 कि.मी. दूर है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी डोंगरगांव 15 कि.मी. एवं अस्पताल डोंगरगांव 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,49,747 टन, माईनेबल रिवर्ज 2,89,421 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,74,950 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.05 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,000
द्वितीय	50,000
तृतीय	50,000
चतुर्थ	50,000
पंचम	50,000

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति तालाब से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 100 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया**:–

1. पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान (खदान से उत्खनन प्रारंभ के समय अनुमोदित माईनिंग प्लान) की प्रति प्रस्तुत की जाये।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में अनुमोदन से भिन्न क्या माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में कभी किसी भी प्रकार की वृद्धि की गई है अथवा नहीं? स्पष्ट की जाये। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दी जाये।
3. भू–प्रवेश अनुमति की प्रति एवं उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
4. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाये कि वर्तमान में उत्खनन संचालित है अथवा बंद? यदि उत्खनन बंद है तो उत्खनन बंद होने की तिथि सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाये।
6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्री भुपेन्द्र कुमार यादव (नारी सेण्ड माईन, ग्राम–नारी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी), न्यू शांति नगर, नत्थानी अपार्टमेंट नगर, रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1052)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 130539/2019 दिनांक 10/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–नारी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 3449, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,24,797 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 761/खनिज/उत्खा.यो.अनु./रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 09/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1251/खनिज/निविदा/2019 धमतरी, दिनांक 07/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1249/खनिज/निविदा/2019 धमतरी, दिनांक 07/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1229/खनिज/निविदा/2019 धमतरी, दिनांक 07/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 06 माह हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–नारी 0.91 कि.मी., स्कूल ग्राम–नारी 1.35 कि.मी. एवं अस्पताल नवापारा 7.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12.65 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.95 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 920 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 122.35 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,24,797 घनमीटर है। नदीतट के पश्चिमी किनारे में 60 मीटर एवं पूर्वी किनारे में 650 मीटर तक छोड़ा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री दिव्या उप्पल (बल्दीडीह सेण्ड माईन, ग्राम–बल्दीडीह, तहसील–पिथौरा, जिला–महासमुंद), परमहंश वार्ड, मुंगेली (न.पा.), तहसील व जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1053)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 130318/2019 दिनांक 10/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बल्दीडीह, तहसील–पिथौरा, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 628, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन जोक नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–39,100 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्दीडीह दिनांक 12/08/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, परंतु अनुमोदित माईनिंग प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1941/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 27/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1941/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1839/ख.लि./रेत नीलामी/2019 महासमुंद, दिनांक 13/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 06 माह हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निकटतम आबादी ग्राम–सांकरा 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–सांकरा 0.92 कि.मी. एवं अस्पताल जगदीशपुर 12.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.2 कि.मी. दूर है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 230 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 80.65 मीटर दर्शाई गई है।
11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 39,100 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 20 मीटर तक छोड़ा गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. अनुमोदित माईनिंग प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स नन्द कुमार कुम्भकार (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 735E)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /28528/2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 48289/ 2018, दिनांक 11/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 416, 417, 418, 423, 436 एवं 437, कुल लीज क्षेत्र 2.96 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 40,000 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:–

1. ग्राम पंचायत नंदनी–खुंदनी द्वारा दिनांक 24/05/2008 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्कीम ऑफ माईनिंग प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के ज्ञापन क्रमांक डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएलएन–554/ नागपुर दिनांक 05/09/2013 जो वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 595 दिनांक 27/05/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 12 खदानें रकबा 66.01 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. समीपस्थ आबादी ग्राम–सहगांव 920 मीटर एवं शहर दुर्ग 28 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रायमरी मेडिकल 02 कि.मी, स्कूल 920 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन दुर्ग 28 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.57 कि.मी. है। शिवनाथ नदी 420 मीटर की दूरी पर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. पूर्व में खनिज गतिविधियों के संचालन हेतु श्री छत्तर सिंह ठाकुर के नाम पर लीज डीड दिनांक 04/03/1998 को जारी किया गया था। लीज श्री नन्द कुमार कुम्भकार के नाम पर दिनांक 26/12/2006 को हस्तांतरित हुई। लीज डीड 20 वर्षों के लिए दिनांक 04/03/1998 से 03/03/2018 तक की अवधि हेतु थी। तदुपरांत दिनांक 03/03/2048 तक लीज वृद्धि की गई है।
7. जियोलॉजिकल रिजर्व 9,68,230 टन एवं माईनेबल रिजर्व 4,04,756 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.78 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में 2 हेक्टेयर भू–भाग

में उत्खनन किया गया है। वर्तमान में 20–26 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। उत्खनन की अंतिम गहराई 26 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2.0 मीटर है। वर्तमान में बेंच की चौड़ाई 3 से 10 मीटर है। बेंच की अंतिम चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर एवं 06 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ड्रिलिंग हेतु जेक हेमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। जल उपभोग की मात्रा 7 किलो लीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन 2 किलो लीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट 2 किलो लीटर प्रतिदिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 03 किलो लीटर प्रतिदिन) है। जल का स्त्रोत भू–जल है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्षो के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2012–13	16,800
2013–14	21,500
2014–15	20,590
2015–16	26,200
2016–17 (उत्खनन अप्रैल 2017 से बंद है।)	32,400

उत्खनन की वर्षवार योजना
(स्कीम ऑफ माईनिंग प्लान अनुसार)

वर्ष	उत्खनन (टन)	उत्खनन (टन)
2013–14	16,350	29,625
	13,275	
2014–15	11,850	28,350
	16,500	
2015–16	35,,250	35,250
2016–17	34,500	34,500
2017–18	40,000	40,000
कुल	**1,67,725**	**1,67,725**

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{\text{एक्स}}$ 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 837/2018, दिनांक 22/11/2019 के आदेश के संबंध में।

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 837/2018, दिनांक 22/11/2019 में निम्नानुसार मुख्य आदेश दिये गये हैं:–

1. There is need for revamping the monitoring mechanism by MoEF&CC as well as SEIAAs, CPCB and State PCBs. Post EC monitoring processes need revamping in quantitative as well as qualitative terms.

2. There is need to prioritize the projects where potential environmental degradation is high on account of nature of activity as well as area being ecologically sensitive. In respect of such project and in such areas, monitoring may have to be more intensive and at higher frequency. In no case frequency of monitoring should be less than once in a year.
3. All category A projects are monitored not less than twice in a year and all category project area monitored not less than once in a year.
4. To ascertain the percentage of compliance.
5. Requisite manpower for effective monitoring by MoEF&CC, CPCB and SEIAAs.

माननीय मंत्री, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 12/09/2019 को सभी राज्यों / केन्द शासित प्रदेश में गठित एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी. के कार्य संचालन स्थिति के समीक्षा हेतु संपन्न बैठक (कार्यवाही विवरण प्रेषित दिनांक 29/10/2019) में निम्नानुसार बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु बल दिया गया है:–

1. एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी. को कार्यों के संपादन के लिये उचित बुनियादी सुविधाएं और श्रमशक्ति प्रदान की जाए।
2. एस.ई.आई.ए.ए. में केटेगरी "बी" परियोजनाओं की निगरानी एवं ऑफलाईन प्रकिया से ऑनलाईन प्रकिया में परिवर्तन हेतु पर्याप्त सुविधाएं और श्रमशक्ति प्रदान की जाए।
3. एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी. के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता तथा एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी. को ऑटोनामस स्टेटस प्रदान किये जाए। एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी. के संगठन संरचना के लिये दिशानिर्देश बनाया जाए।

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ का सचिवालय मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अधिकृत किया गया है। राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा वर्तमान में 946 पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है, इसके आलावा निकट भविष्य में और इकाई को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाएगी। पर्यावरणीय स्वीकृति की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया है। इन समस्त प्रकरणो में मॉनिटरिंग की कार्यवाही राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा की जानी है। अतः निम्नानुसार अमले की आश्यकता होगी।

I. **क्षेत्रीय स्तर परः–** कार्यभार (946) एवं निकट भविष्य में संभावित पर्यावरणीय स्वीकृतियों के अनुसार 14 मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया जाएगा, जिसमें प्रत्येक टीम में 01 सहायक अभियंता / वैज्ञानिक तथा 01 तकनीकी सहायक होगा। इस प्रकार क्षेत्रीय स्तर सहायक अभियंता / वैज्ञानिक एवं 14 तकनीकी सहायक की आवश्यकता होगी।

II. **मुख्यालय स्तर परः–** एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठकों के संचालन, एजेण्डा एवं कार्यवाही विवरण तैयार करने, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अध्ययन एवं आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार अमले की आवश्यकता होगी:–

S. No.	Post	Required No.
1.	Chief Engineer	01
2.	Superintending Engineer	01

3.	Executive Engineer	02
4.	Assistant Engineer / Scientist	06
5.	Assistant Programmer	01
6.	Accountant	01
7.	UDC	03
8.	Data Entry Operator	03

III. इस प्रकार मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल तकनीकी एवं लिपकीय अमले की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:–

S. No.	Post	Required No.
1.	Chief Engineer	01
2.	Superintending Engineer	01
3.	Executive Engineer	02
4.	Assistant Engineer / Scientist	20
5.	Technical Assistant	14
6.	Assistant Programmer	01
7.	Accountant	01
8.	UDC	03
9.	Data Entry Operator	03

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एस.ई.आई.ए.ए. एवं एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के सचिवालय में तकनीकी अमले के लिये कम्प्यूटर, फर्नीचर, कम्प्युटर, फोटोकॉपी मशीन आदि उपकरण, स्टेशनरी की व्यवस्था तथा तकनीकी अमले की वेतन हेतु प्रस्तावित बजट के प्रस्ताव को शामिल कर राज्य में पर्यावरणीय स्वीकृति मॉनिटरिंग हेतु उपरोक्त तकनीकी अमले का प्रस्ताव राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को भेजे जाने की अनुशंसा की गई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भवन की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जाएगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा इकाईयों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तानुसार सी.ई.आर. के प्रस्ताव के अंतर्गत किये गये कार्यों के संबंध में:–

समिति के आदेशानुसार, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा सी.ई.आर. की शर्त निर्धारित कर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की सूची को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्तुत सूची का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह पाया गया कि अधिकांश परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सी.ई.आर., रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं वृक्षारोपण की शर्त के अनुपालन के संबंध में कोई भी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इकाईयों को निम्नानुसार जानकारी प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जाए:–

1. सी.ई.आर. के तहत् किये गये कार्यों के फोटोग्राफ्स सहित कार्यों की (व्यय सहित) प्रमाणित जानकारी।
2. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के संबंध में निर्धारित शर्तानुसार किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति मय फोटोग्राफ्स।
3. वृक्षारोपण की वर्तमान प्रगति मय फोटोग्राफ्स।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स नांदगांव फलेग स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री अश्वनी धीवर) को खसरा क्रमांक 3271/2 एवं 3274, कुल क्षेत्रफल – 0.7 हेक्टेयर, ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद में फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–3,825 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.7 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर (गौण खनिज) का अधिकतम उत्खनन क्षमता–3,825 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए (यदि आवश्यक हो)।
5. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। लीज क्षेत्र में क्रशर / स्क्रीन आदि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना नहीं की जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को

स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

12. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Rs. Lakh)**
Rs. 30	2%	Rs. 0.6	Following activities at Govt. Primary school Village-Nandgaon	
			Rain water harvesting	Rs. 0.40
			potable drinking water facility,	Rs. 0.18
			Running water facility for toilets	Rs. 0.02
			Total	**Rs. 0.60**

14. सी.ई.आर. **(Corporate Environment Responsibility)** का कार्यवार विस्तृत लागत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।

15. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 450 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

16. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

18. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

19. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

20. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी

भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

30. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.